UPJB010012692025

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

**पीठासीन अधिकारी– विवेक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

{JOCODE–UP2012}

**फौजदारी निगरानी संख्या–59/2025**

श्रीमती ममता राणा आयु लगभग 35 वर्ष पुत्री श्री प्रेमकुमार राणा, निवासिनी शान्तिनगर सिविल लाईन, थाना सिविल लाईन नगर, जिला मुरादाबाद।

**.....निगरानीकर्ती/अभियुक्ता।**

**।। बनाम।।**

1– मेघराज सिंह राणा आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व 0 खूबचन्द सिंह, निवासी मौहल्ला होलीवाला, निकट नारायण दास मन्दिर, कस्बा व थाना हसनपुर, जिला अमरोहा।

2– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), अमरोहा।

**.....विपक्षीगण।**

## निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ती/अभियुक्ता की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर द्वारा परिवाद संख्या–1729/2024 मेघराज सिंह राणा बनाम श्रीमती ममता राणा, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

**2.** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मेघराज सिंह राणा ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर में विपक्षिया श्रीमती ममता राणा के विरूद्ध एक परिवाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वह तहसील परिसर हसनपुर में विगत 33 वर्षों से विधि व्यवसाय करता है। अभियुक्ता श्रीमती ममता राणा का विवाह उसके पुत्र राकेश कुमार के साथ हुआ था। विवाह के उपरान्त से उसकी पुत्रवधु अपनी मर्जी से उसके बेटे से पृथक रह रही है तथा मतभेद के चलते उसके व उसके पुत्र के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद योजित किये हैं तथा उसकी छवि धूमिल करने के उददेश्य से लगातार उसके विरूद्ध अनर्गल व असत्य आरोप लगाती रहती है। अभियुक्ता ने दिनांक 01.07.2023 को उसके विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र मानसिक, आर्थिक व शारीरिक शोषण का महासचिव, तहसील बार एसोसिएशन हसनपुर को दिया गया। उक्त पत्र को बार एसोसिएशन के महासचिव के माध्यम से व्हाट्सएप पर डाला गया, जिसे पढ़कर अनेक व्यक्तियों ने परिवादी से अपमानकारी भाषाशैली में जानकारी ली तथा वह अपनी बार एसोसिएशन में उपहास का पात्र बन गया। अभियुक्ता द्वारा असत्य व अनर्गल कथनों के आधार पर एक प्रार्थनापत्र प्रथमा यू0 पी0 ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्लीपुर चौपला, अमरोहा को दिया गया तथा उसे प्रथमा यू0 पी0 ग्रामीण बैंक के विधिक सलाहकार के पद से हटाने की प्रार्थना की गयी। उसके विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दिया, जिसकी जांच बार काउंसिल की अनुशासनिक समिति कर उसे दिनांक 20.04.2024 को खारिज कर दिया गया। अभियुक्ता द्वारा उसकी मानहानि की गयी है तथा झूठे शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उसकी छवि धूमिल की गयी है। अभियुक्ता का उपरोक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) व 356 (2) के अंतर्गत मानहानि की श्रेणी में आता है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्ता से पांच लाख रूपये मानहानि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.07 14:29:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तत्पश्चात सुनवाई के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 के द्वारा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुये पत्रावली परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेतु नियत की गयी है, जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान निगरानी योजित की गयी है।

**3.** निगरानीकर्ती द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है। परिवादी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर परिवाद योजित किया गया है। वास्तविकता यह है कि बार एसोसिएशन के महासचिव व अध्यक्ष को प्रेषित शिकायत मूल रूप में रजिस्ट्री लिफाफा निगरानीकर्ती को वापस किया गया है, ऐसी स्थिति में परिवादी के पास शिकायत किस प्रकार पहुंची और उक्त रजिस्ट्री निगरानीकर्ती को वापस होने पर परिवादी की मानहानि कैसे हो सकती है, इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कथित प्रार्थनापत्र बार एसोसिएशन के महासचिव के व्हाट्सएप के माध्यम से डाला गया, जिससे निगरानीकर्ती का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा कथित चैट संदेश में निगरानीकर्ती का कोई नाम भी नहीं है। कथित व्हाट्सएप संदेश पीयूष शर्मा एडवोकेट के व्हाट्सएप से वायरल होना कहा गया है, जबकि उसका पीयूष शर्मा एडवोकेट से कोई परिचय नहीं है और न ही उन्हें जानती व पहचानती है। परिवादी ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद संस्थित करने से लगभग एक वर्ष पूर्व अपने अधिवक्ता द्वारा नोटिस दिनांक 17.07.2023 को प्रेषित किया गया था, जिसका दिनांक 07.08.2023 को निगरानीकर्ती ने जबाव नोटिस दे दिया था, जिसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, लेकिन विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया गया है। परिवादपत्र के पैरा–11 में अंकित किया गया है कि ब्रजकिशोर, दिनेशचन्द व अन्य लोगों ने सुना व फोन के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी देखा तथा परिवादी का अपमान किया। ऐसे में ब्रजकिशोर, दिनेशचन्द्र व अन्य लोगों के विरूद्ध मानहानि का परिवाद संस्थित किया जाना चाहिए था, जबकि ब्रजकिशोर व दिनेशचन्द्र, परिवादी के मुंशी हैं। परिवादपत्र के पैरा –13 के अनुसार निगरानीकर्ती का कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) व 356 (2) के अंतर्गत मानहानि की श्रेणी में आना कहा गया है,जबकि कथित घटना दिनांक 01.07.2023 से पूर्व की है और भारतीय न्याय संहिता 01 जुलाई 2023 से प्रभावी है। इस तथ्य पर विचार न करके विचार न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है। परिवादपत्र में उसके व विपक्षी संख्या–1 के मध्य विचाराधीन मुकदमों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। परिवादी या उसके परिवार की प्रतिष्ठा व छवि धूमिल करने सम्बन्धी कोई समाचार किसी सार्वजनिक दैनिक अखबार में उसके द्वारा प्रकाशित नहीं कराया गया है। वह विपक्षी संख्या–1 के पुत्र राकेश कुमार की पत्नी है और स्वयं को अपनी ससुराल का अंग मानती है। वह विपक्षी संख्या–1 व उसके परिवार से पारिवारिक विवाद के चलते अपनी अल्पवयक्त पुत्री कु0 अनन्या राणा के साथ अपनी व परिवार की सामाजिक बदनामी होने का दंश विपक्षी संख्या–1 से ज्यादा झेल रही है। विपक्षी संख्या–1 पांच लाख रूपये की क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद दीवानी न्यायालय में संस्थित कर सकता है। उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुये आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

**4.** पूर्व तिथि पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

निगरानीकर्ती व विपक्षी संख्या–1 की ओर से तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। वर्तमान मामले के आदेशपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पिछली कई तिथियों से निगरानीकर्ती की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है तथा न ही निगरानीकर्ती की ओर से विपक्षी संख्या–1 को नोटिस भेजे जाने के लिए पैरवी की गयी है। यह स्थापित विधि है कि निगरानी का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सकता है। अतः विपक्षी संख्या–2 राज्य की ओर से उक्त तिथि पर तर्क सुने गये तथा निगरानीकर्ती व विपक्षी संख्या –1 को निर्णय की तिथि से पूर्व अपनी लिखित या मौखिक बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु आज निर्णय के दिनांक तक निगरानीकर्ती व विपक्षी संख्या–1 की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं

हुआ। उपरोक्त स्थिति में विपक्षी संख्या –2 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों व तथ्यों का सम्यक अवलोकन कर विधिक प्रावधान के प्रकाश में विधिसम्मत आदेश दिनांकित 18.12.2024 पारित किया गया है। फौजदारी निगरानी बलहीन है। अतः फौजदारी निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. विधि व्यवस्था **सावित्री देवी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2014 (84) ए0सी0सी0 81** में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

> "10– In constricted revisional jurisdiction, finding of the lower court cannot be analysed threadware. Besides they are not liable to be upset unless they are perverse, based upon misreading of evidence, or suffer from any other legal inhibitions."

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः मूल्यांकन करना नहीं आता है, जब तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष अवैध ना हो।

7. मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मामले में दिनांक 23.07.2024 को नये कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विविध वाद रूप में दर्ज कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के परन्तुक के प्रकाश में विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 18.12.2024 को उभय पक्षों की उपस्थिति पर मामले में संज्ञान लेकर धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन कराने के लिए तिथि नियत की गयी।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश से किसी पक्ष को कोई हानि नहीं है तथा निगरानीकर्ती/विपक्षिया को विचारण हेतु तलब भी नहीं किया गया है, बल्कि उक्त आदेश के द्वारा मामले में मात्र अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी है।

8. निगरानीकर्ती की ओर से निगरानी में जो आधार प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी मामले के गुणदोष से सम्बन्धित हैं, जिनका निस्तारण कार्यवाही के इस स्तर पर नहीं होना है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के द्वारा मामले में मात्र अग्रिम कार्यवाही (परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) अमल में लाये जाने के लिए तिथि नियत कर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है। उपरोक्त स्थिति में निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पुष्ट होने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या–59/2025 श्रीमती ममता बनाम मेघराज सिंह राणा व एक अन्य निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.12.2024 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति तलबशुदा पत्रावली सहित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

**दिनांक–07.07.2026**

**( विवेक )**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

**दिनांक–07.07.2026**

**( विवेक )**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक